

सं०सं०-म०नि०-II-उ० यो०-101/2022-23/ 56 रा०कि०

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबकर रिददीख पी०, भा०प्र०रो०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 17.03.26

विषय-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य विपणन योजना" में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 62.953 लाख (बासठ लाख पंचानवे हजार तीन सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 51.877 लाख (एक्यावन लाख सतासी हजार सात सौ) रु० मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य योजनान्तर्गत "मत्स्य विपणन योजना" के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य मद में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 62.953 लाख (बासठ लाख पंचानवे हजार तीन सौ) रुपये मात्र की प्रशासनिक तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त बजट उपबंध के अधीन मो० 51.877 लाख (एक्यावन लाख सतासी हजार सात सौ) रु० मात्र के व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. (क) जीर्णोद्धार कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु० में)

क्रम	जीर्णोद्धार कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	हाईजेनिक फिश मार्केट, शालीमार, धुर्वा, राँची में Drain at Right Side, Back Side and Front Side of Frozen Fish Shop का रिनोवेशन कार्य	11,87,700/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-2, राँची द्वारा दिनांक 09.02.2026 को तकनीकी स्वीकृति।	राँची
उप योग:		11,87,700/-		

(ख) निर्माण कार्य की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति निम्न रूप से दी जाती है- (रु० में)

क्रम	निर्माण कार्य	प्राक्कलित/ प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने का स्तर	जिला
लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
1	शालीमार, धुर्वा के हाईजेनिक मछली बाजार में Toilet Complex, Provision of Drinking Water facility with 6 inch dia Boring का निर्माण कार्य।	20,61,300/-	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-2, राँची द्वारा दिनांक 09.02.2026 को तकनीकी स्वीकृति।	राँची
2	हाईजेनिक फिश मार्केट, शालीमार, धुर्वा, राँची में RCC Floor for Parking Area of Heavy Commercial Vehicles का निर्माण कार्य।	30,46,300/-*	अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं०-02, राँची द्वारा दिनांक 02.09.2024 को।	
योग:		51,07,600/-		
कुल योग (क) + (ख):		62,95,300/-		

नोट :- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में समुचित बजट उपबंध नहीं रहने के कारण

(i) * हाईजेनिक फिश मार्केट, शालीमार, घुर्वा, राँची में RCC Floor for Parking Area of Heavy Commercial Vehicles का निर्माण कार्य हेतु प्राक्कलित/प्रशासनिक स्वीकृति की राशि मो0 30,46,300/- रु0 मात्र के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्वीकृत बजट उपबंध के अधीन मो0 19,38,700/- रु0 मात्र आवंटित किये जाएँगे। शेष मो0 11,07,600/- रु0 मात्र का व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसी मद में समुचित बजट उपबंध प्राप्त करते हुए किया जा सकेगा।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय राज्यादेश सं0 23 रा0 (वि0) दिनांक 06.10.2025 द्वारा "मत्स्य विपणन योजना" अंतर्गत बजट शीर्ष-2405-मछली पालन में उपबंधित राशि मो0 180.00 लाख रु0 मात्र में से मो0 179.77 लाख (एक करोड़ उनासी लाख सतहत्तर हजार) रु0 मात्र की स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गयी है।

4. योजनान्तर्गत इस राज्यादेश द्वारा स्वीकृत राशि का व्यय निम्न बजट शीर्ष में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा -

(राशि लाख रु0 में)

मॉग सं0-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट उपबंध	पूर्व स्वीकृत राशि	वर्तमान में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050010162010545	25.00	0.00	0.00	25.00
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-44-जीर्णोद्धार 53S44050079662010544	15.00	0.00	11.877	3.123
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-उप शीर्ष-62-मत्स्य विपणन योजना-विस्तृत शीर्ष-05- निर्माण-45-निर्माण कार्य 53S44050079662010545	40.00	0.00	40.00	0.00
कुल योग :		80.00	0.00	51.877	28.123

कुल मो0 51.877 लाख (एक्यावन लाख सतासी हजार सात सौ) रु0 मात्र।

5. राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना अंतर्गत उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में लोक निर्माण विभाग के प्रावधानों के तहत सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन के आलोक में ही की जाएगी।

6. (क) इस योजना अंतर्गत संपूर्ण उपबंधित राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय होगी तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कंडिका '2' में अंकित वित्तीय लक्ष्य/स्वीकृत राशि के अधीन प्राप्त आवंटन से राशि की निकासी संबंधित कोषागार से एकमुश्त करते हुये भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल के कार्यपालक अभियंता को पुस्त हस्तांतरण के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता से निरंतर संपर्क कर कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे।


(ख) स्वीकृत राशि का व्यय लोक निर्माण संहिता (PWD) के विहित प्रावधानों तथा वित्त विभागीय एतद् विषयक निर्गत आदेशों के अधीन किया जायेगा।

7. जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य हेतु प्रयोग में लाये जा रहे सामग्रियों एवं जीर्णोद्धार/निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जाँच कराकर प्रतिवेदन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगा। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तकनीकी रूप से स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य से संतुष्ट होने के उपरान्त ही संवेदक को राशि का भुगतान किया जायेगा।

8. स्वीकृत सभी योजनाओं को/इस स्वीकृत्यादेश की निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के अंदर पूर्ण किया जायेगा।


9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंताओं से निरंतर संपर्क कर कार्य की गुणवत्ता प्राक्कलन के अनुरूप कराने के साथ-साथ स्वीकृत कार्य की प्रगति सुनिश्चित करेंगे तथा जीर्णोद्धार/निर्माण कार्यों का जांच प्रतिवेदन एवं कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिवेदन, निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे।
10. यह चालू प्रकृति की राज्य योजना है। इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है। साथ ही उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना लंबित नहीं है।
11. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
13. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-01/आर0-04/ 2001/1269 दिनांक 21 सितम्बर, 2023 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है।
14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर निर्धारित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
15. वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि मो0 250.00 लाख रु0 (संशोधित बजट उपबंध मो0 180.00 लाख रु0 मात्र) में से मो0 150.89 लाख रु0 मात्र का व्यय प्रतिवेदित है।
16. किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इस योजनान्तर्गत स्वीकृत जीर्णोद्धार/निर्माण कार्य लोक निर्माण संहिता के आलोक में प्राक्कलन के विशिष्टियों के अनुरूप किया जाय।
17. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
19. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेबसाईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन


(अबुबकर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव


ज्ञापांक 56 शं०वि/राँची, दिनांक 17.03.26

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक 56 शं०वि/राँची, दिनांक 17.03.26

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल/योजना-सह-विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा) झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव

